खण्ड: 2, अंक: 8 अगस्त 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

जम्मू और कश्मीर तथा अनुच्छेद 370/35-ए
प्रावधान, समाधान एवं परिणाम

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केन्द्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

जम्मू और कश्मीर तथा अनुच्छेद 370/35–एः प्रावधान, समाधान एवं परिणाम

अनुक्रमिका

संपादकीय i-ii

1. भारतीय राष्ट्रवाद एवं कश्मीर का प्रश्नः अनुच्छेद 370 के निलंबन के परिप्रेक्ष्य में 1–3
   – सृष्टि

2. जम्मू–कश्मीर का पुनर्गठन – अनिल कांबोज 4–6
   – डॉ रितु तलवार

3. जम्मू–कश्मीर के विशेष दर्जे का समापन एवं लद्दाख की स्वायत्ताः आनन्द एवं असमंजस का दौर 7–9
   – काजल

4. अनुच्छेद 370 एवं 35–एः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भविष्य की संभावनाएं 10–12
   – रेखा

5. जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370/35–ए की समाप्तिः परिवर्तन की एक लहर 13–16
   – राम किशोर

6. जम्मू और कश्मीर तथा अनुच्छेद 370/35–एः विश्वसनीयता के मूल्य पर नैरेटिव गढ़ने की मीडिया होड – चन्द्रशेखर ग्वाढ़ी 17–21

7. जम्मू–कश्मीरः कल और आज, अनुच्छेद 370 के संदर्भ में 22–25
   – अर्चना सौशिल्या

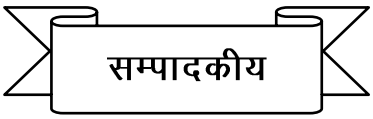

सम्पादकीय

एक बार पुनः विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्लो विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के इस अंक को प्रकाशित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। प्रत्येक माह की ज्वलंत वास्तविकता को समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रकटीकरण की हमारी यह पहल संश्लेषण के रूप में प्रस्तुत हो रही है। वर्ष 2019 का संश्लेषण का यह आठवां तथा अब तक का बारहवां अंक सभी पाठकों को प्रेषित किया जा रहा है।

वर्ष 2019 का अगस्त माह संसद द्वारा पारित जम्मू एवं कश्मीर अधिनियम पर केन्द्रित रहा। 1950 के दशक से भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रचारित 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' पर आधारित अनुच्छेद 370 एवं 35–ए के निराकरण की पहल को भाजपा नेतृत्व की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अंतोगत्वा अगस्त 2019 में कार्यान्वित कर दिया। संसद द्वारा एक अध्यक्षीय प्रस्ताव के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर की इस विशिष्ट स्थिति को निरस्त करना स्वातन्त्र्योत्तर भारत के सात दशकों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। इस निर्णय से संबंधित वाद विमर्श न केवल भारतोय राजनीति में ही विवेचनीय रहे अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी विरोधियों ने इसे विभिन्न प्रकार से प्रकल्पित एवं विरुपित करने का प्रयास किया।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'जम्मू और कश्मीर तथा अनुच्छेद 370 / 35–एः प्रावधान, समाधान एवं परिणाम' विषय पर लेख आमंत्रित किये। सात उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख इन दो अनुच्छेदों से संबंधित जम्मू और कश्मीर के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं तथा भारत की संघीय संरचना में केन्द्र–राज्य संबंधों के अन्तगर्त राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा एवं अक्षुण्ता को भी संदर्भित करने तथा इसमें अर्न्तनिहित अलगाववाद की भावना को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को

संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदशित करते हैं।

वर्ष 2019 के संश्लेषण के इस आठवें अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हम सितम्बर माह के अपने नौवें समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

शनिवार, 14 सितम्बर 2019

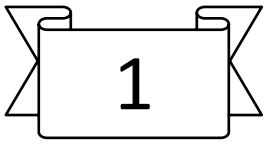

1

भारतीय राष्ट्रवाद एवं कश्मीर का प्रश्नः अनुच्छेद 370 के निलंबन के परिप्रेक्ष्य में

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्व के एक बड़े इतिहासकार व चिंतक टोनी जुड्त ने बीसवीं शताब्दी के बारे में लिखते हुए, 2008 में महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कि विश्व 20 वर्ष पूर्व से इतना अलग हो चुका है कि हम भूल चुके है कि यहाँ तक हम कैसे आए है। हमारे इतिहास–बोध पर मिथक हावी हो गए हैं। इनके अनुसार हमें इतिहास–बोध को नहीं छोड़ना चाहिए। आज से 77 वर्ष पूर्व, 9 अगस्त, 1942 को गांधी जी ने देश के लोगों का आह्वान किया था, तो उन्हें अंदेशा नहीं था कि पाँच वर्ष के अंतर्गत ही उन्हें यह कहना पड़ेगा कि 'हमने मानवता को खो दिया है'। उस दौर में भारत के राष्ट्रीय स्वप्न को एक आघात सांप्रदायिक उन्माद से मिला।

पंथ के आधार पर उत्पन्न राजनीतिक शक्ति से प्रतिस्पर्धा भारत का यह राष्ट्रवाद नहीं कर पाया। अंततः भारत को विभाजित कर दिया गया। दूसरी ओर, मो. अली जिन्ना एवं लियाकत अली खान जैसे लोग देश को भूमि की भांति विभाजित करने के सिद्धांत पर चले और इस प्रकार से ही लोगों को समझाने में सफल रहे।

भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं माना, परंतु विभाजन तो धार्मिक आधार पर ही हुआ, जिसे दो–ढाई दशकों में तैयार किया था, उसमें देश का विभाजन किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं था, परंतु विभाजन हुआ और उसी नेतृत्व में इसे स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद अंग्रेज तो छोड़ गए पर देश को दो टुकड़ों में विभाजित कर गए और राष्ट्रवाद का वह समावेशी स्वप्न स्वतः बिखर गया।

नेहरू के नेतृत्व में नए भारत ने राष्ट्रवाद के स्वप्न को बचाए रखने का इस आधार पर प्रयास किया गया कि भारत में रह रहे लोग हिन्दू और मुसलमान सभी इस देश को अपना मानकर आगे बढ़ेंगे। किन्तु 1970 के दशक में देश की राजनीति में एक दूसरी विचारधारा, जो हिन्दू राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत पर आधारित थी, प्रभावशाली हुई। और धीरे–धीरे इसने कभी हिन्दू

और कभी राष्ट्र के रूप को राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार रखा कि यह राजनीति में काँग्रेस के प्रतिस्पर्धा में खड़ी हो गयी। आज यह देश को संचालित कर रही है।

जिसे हम हिन्दू राष्ट्रवादी कहते है, उसके भीतर दो तरह की विचारधाराएँ है– एक को उदार हिंदुवादी (मालवीय) विचारधारा और दूसरी को उग्र (सावरकर) विचारधारा। पहले वाले लोग काँग्रेस के भीतर से उभरे थे और दूसरी धारा उसकी प्रतिस्पर्धा में उभरी। अंग्रेजों ने सावरकर वाली विचारधारा को हिंदुओं के राजनीतिक नेतृत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब देश छोड़ कर जाने लगे तो विषय को काँग्रेस और मुस्लिम–लीग के मध्य तय कर गए। हिन्दू राष्ट्रवाद राष्ट्रीय क्षितिज पर नहीं आ सका। परंतु काँग्रेस के अंतर्गत हिन्दू–हित की बात करने वालों के साथ उनका संपर्क बना रहा। हिन्दू महासभा एंव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नजदीक आने के पश्चात् बने जनसंघ ने इस हिन्दू राष्ट्रीय संकल्प को राजनीतिक आधार पर प्रभावी रूप में रखा।

बलराज मधोक सावरकर की विचारधारा के थे। हिन्दू हित की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते थे। दूसरी ओर, साठ के दशक में एक उदार राष्ट्रवादी हिन्दू नेतृत्व वाजपेयी–आडवाणी के रूप में उभरा, जिसने मधोक को किनारे कर दिया। यही नेतृत्व 1975 के पश्चात् अधिक प्रखर हुआ। 1977 के पश्चात् सत्ता में आने के पश्चात् इसे विस्तार मिला। उसके पश्चात् के वृतांत में परिवर्तन तब आया, जब आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा शुरू हुई। जिसने भारतीय जनता पार्टी को देशव्यापी आधार प्रदान किया। नरेंद्र मोदी जी के उत्थान को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ा जा सकता है।

विश्व के एकमात्र देश, जहां हिन्दू इतनी बड़ी संख्या में रहते है। वहाँ भी मुसलमानों पर सरकार का ध्यान अधिक रहता है ताकि उनका राजनीतिक समर्थन मिलता रहे। यह बात दशकों से कहीं जा रही थी, परंतु 1990 के पश्चात् इस प्रचार को जन समर्थन मिलने लगा। पंथनिरपेक्षता को निशाने पर लाया गया और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाने लगा। राजनीतिक ध्रुवीकरण के आधार के रूप मे पंथ एक बार पुनः उभरकर आया।

गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के पचास वर्ष पश्चात् अयोध्या विवाद ने देश में जन आंदोलन का रूप ले लिया। 1991 में भारत में नए भारत का एक दूसरा स्वप्न बना, जिसे नए मध्य वर्ग ने निर्मित किया। यह 1920 व 1930 के उस मध्य वर्ग से भिन्न था, जिसने समावेशी राष्ट्रवाद को विस्तार दिया था। यह वैश्वीकरण का दौर था। इस युग में लोग उत्कृष्ट भौतिक जीवन जीना चाहते थे। इस रूप में यह सम्पूर्ण विश्व में अमेरिकी जीवन शैली के विस्तार का युग था। इसके

अतिरिक्त इसी समय 'सभ्यताओं के युद्ध' का बोध आया, खाड़ी युद्ध हुए। इस समय में गुजरात के दंगे, गोधरा कांड, मुंबई हमला एंव संसद पर हमला हुआ और यह चक्र चलता रहा।

ऐसे दौर में नरेंद्र मोदी जी को हिन्दू राष्ट्रवाद की ओर से विकल्प के रूप में उभारा गया। मोदी जी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ स्वयं को राष्ट्र के नव–निर्माण के संकल्प के साथ जोड़ दिया। जनता ने मोदी जी को नई शक्ति प्रदान की। इसी क्रम में वे "एक देश एक विधान" जैसे लोक–प्रसिद्ध प्रचार–वाक्य के साथ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने हेतु आगे बढ़े। वे सावरकर के हिन्दू राष्ट्र के मूल संकल्प के साथ है कि इस देश में जो रहेगा उसे अपने को हिन्दू मानना होगा। अर्थात यह भारतीय मुसलमान को तो स्वीकार करता है, मुसलमान भारतीय को नहीं।

अनुच्छेद 370 व 35 ए ने जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय गणराज्य से पृथक गणराज्य बना रखा था। पृथकतावाद व सांप्रदायिकता का विकृत रूप देखने को मिल रहा था। राज्य में महिलाओं व पुरुषों के मध्य अन्यायपूर्ण और अपमानजनक भेदभाव को प्रोत्साहन मिल रहा था। राज्य के नागरिकों के समक्ष शेष के राज्यों नागरिकों की नागरिकता गोण की बन गयी थी। देश अन्य भागों के नागरिकों को राज्य में कहीं भी अचल संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। पाकिस्तान से पहुँचे शरणार्थियों को अनुच्छेद 370 व 35 ए के कारण नागरिकता देना अस्वीकृत कर दिया था, अपितु वे अब अधिकारपूर्वक राज्य के नागरिक बन जाएंगे।

इस अनुच्छेद के चलते कश्मीर को वीटो जैसी शक्ति मिली हुई थी, जिससे कश्मीरी वर्चस्व व घाटी–केंद्रित नेतृत्व को सदैव लगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को नागरिकता देना या नहीं देना उनके अधिकार में है। अब राज्य की उन बेटियों को भी राज्य में अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा जिन्होने राज्य से बाहर किसी व्यक्ति से विवाह किया है। इस प्रकार जम्मू–कश्मीर व लद्दाख के इतिहास में 5 अगस्त 2019 युगांतकारी परिघटना के रूप में विख्यात हो गया।

♦♦♦♦♦

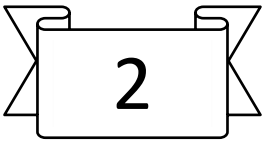

2

जम्मू–कश्मीर का पुनर्गठन

अनिल कांबोज

महानिरीक्षक बीएसएफ (सेवानिवृत्त), प्रोफेसर, एनडीआईएम

डॉ रितु तलवार

प्रोफेसर, एन.डी.आई.एम. (एम.बी.ए.)

भारत का विभाजन, शाही रणनीति का एक भाग था, जिसे चर्चिल ने 5 मई, 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के पश्चात् तैयार करने का आदेश दिया था। यह रूस की गंभीर आशंकाओं को पूर्ण करने के लिए था। स्टालिन ने पहले हिल्टर के विदेश मंत्री, रिब्बनप्रॉप से कहा था कि यह हास्यास्पद है कि कुछ सौ अंग्रेज भारत पर हावी हो सकते हैं। सर विंस्टन चर्चिल (1940 से 1945 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री), अपने चीफ–ऑफ–स्टाफ, इस्माई के साथ सहमत थे कि यदि उन्होंने भारत को खाली कर दिया, रूसी घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। चर्चिल की दीर्घकालिक नीति के लिए भारत और हिंद महासागर में ब्रिटिश साम्राज्य के सामरिक हितों की रक्षा करना आवश्यक था।

अफगानिस्तान और रूस के समीप भारत की पश्चिमी और उत्तर–पश्चिमी सीमाओं की रक्षा ब्रिटेन की प्राथमिकता थी। पाकिस्तान के माध्यम से पूर्वी भाग ने कोई समस्या प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान सैन्य विषयों में पूर्ण रूप से ब्रिटेन पर निर्भर रहा। परंतु उत्तरी भाग ने एक समस्या प्रस्तुत की, क्योंकि यह क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग था, जिसका हिंदू महाराजाओं व अंग्रेजों को भय था, उन्होंने गिलगित स्काउट्स के माध्यम से एक चतुर खेल खेला, जो ब्रिटिश थे और जिन्होंने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया था। 30 जुलाई 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना शेष था, तो गिलगित स्काउट्स के सभी ब्रिटिश अधिकारियों ने पाकिस्तान की सेवा करने का विकल्प चुना।

इस प्रकार 31 अक्टूबर 1947 को गिलगित स्काउट्स ने एक अंतरिम सरकार स्थापित की। 4 नवंबर को, मेजर ब्राउन ने अपनी नेतृत्व की शैली पर पाकिस्तान का ध्वज फहराया, और 12 नवंबर को, स्वयं को राजनीतिक एजेंट के रूप में बताने वाले एक अधिकारी ने पाकिस्तान से आकर गिलगित में स्वयं को स्थापित कर लिया।

इसके अंतर्गत शाही रणनीति अधिक गहन थी। इसमें विभिन्न बिंदु सम्मिलित हैं:

क) रक्षा को सुदृढ़ करने हेतु पाकिस्तान के उत्तर–पश्चिमी सीमाओं का प्रतिष्ठान।

ख) भारत से बलूचिस्तान का पता लगाना।

ग) ब्रिटिश सर्वोच्च सेनापति के नेतृत्व के अंतर्गत एक अविभाजित सेना।

यद्यपि, शाही रणनीति ने गति नहीं ली, क्योंकि सरदार वल्लभभाई पटेल इसके लिए सहमत नहीं थे। इसलिए भारत का विभाजन चर्चिल की योजना थी और जिन्ना इसके प्रवर्तक थे। पंडित नेहरू को कश्मीर के शेख अब्दुल्ला पर अधिक विश्वास था। उनका मानना था कि कश्मीर का भाग्य पंडित नेहरू के व्यक्तिगत हितों से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार मात्र शेख अब्दुल्ला ही कश्मीर समस्या को समाधान करने में सहायता कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान को अपनी स्वतंत्रता क्रमशः 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 को मिली।

कुछ समय पश्चात, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी आदिवासी व सैनिक कश्मीर में आए। महाराजा की सेनाएँ उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकीं। चारों ओर नरसंहार हुआ। इस प्रकार, सैनिकों को भेजने का निर्णय 26 अक्टूबर तक नहीं लिया गया था, जिस तारीख तक महाराजा ने भारत में प्रवेश करने की अपनी घोषणा की थी। 4 नवंबर 1947 को श्रीनगर पहुंचने पर सरदार पटेल ने ब्रिगेडियर कमांडर व उपस्थित अन्य नेताओं से विस्तृत जानकारी ली।

1 जनवरी 1949 को भारतीय सेना सभी पाकिस्तानी आदिवासियों व सैनिको को पीछे धकेलने वाली थी, तब भारत ने युद्ध विराम की घोषणा की और इससे पूर्व 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संगठन में कश्मीर का पाकिस्तान का विषय ले जाया गया था। सरदार पटेल इसके पक्ष में नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र के एंग्लो–अमेरिकन अक्ष के प्रभाव में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 के अंतर्गत एक संकल्प 47– (1948) पारित किया जो यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि पाकिस्तान जम्मू के अधिकृत वाले क्षेत्रों को खाली कर देगा।

अनुच्छेद 370

महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित परिगृहण के खण्ड सात में घोषणा की कि राज्य को भारत के किसी भी भविष्य के संविधान को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। राज्य अपने स्वयं के संविधान का प्रारूप तैयार करने के अंतर्गत था, अनुच्छेद 370 को उन अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। संवैधानिक विद्वान ए. जी. नूरानी के अनुसार,

अनुच्छेद एक गम्भीर रचना है। अनुच्छेद के अनुसार, न तो भारत और न ही राज्य अकेले ही संशोधन कर सकते है।

भारतीय संघ के पास राज्य में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल करने की कोई शक्ति नहीं थी। संघ राज्य में केवल युद्ध या बाह्य आक्रामकता के विषय में आपातकाल को रद्द कर सकता है। आपातकाल के अनैतिक कारण या संकट की घोषणा राज्य के संबंध में मात्र राज्य सरकार की सहमति से ही की जा सकती है।

जम्मू और कश्मीर की स्वायत्ताः संरचनाएं एव सीमाएं

भारत का संविधान एक संघीय संरचना है। कानून के लिए विषयों को एक संघ सूची, एक राज्य सूची व एक समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। रक्षा, सैन्य व विदेशी विषयां सहित 96 विषय संघसूची में है, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को विशेष रूप से है। राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची जिस पर केन्द्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघर्ष के विषय पर संघ कानून बनाता है। किंतु जम्मू और कश्मीर के विषय में ऐसा नहीं है। संघ के बजाय अवशिष्ट शक्ति राज्य के पास ही है।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू–कश्मीर से आतंकवाद समाप्त होगा। यह आधारिक स्तर के लोकतंत्र को सशक्त करेगा तथा पंचायतें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी। केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया धन सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। इसने राज्य में आधारिक स्तर के नेताओं के मनोबल को बढ़ा दिया है। अब राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं।

प्रत्यक्ष वित्तीय शक्तियां जम्मू और कश्मीर के लोगों को लाभ के लिए निर्णय लेने के लिए उन्हें सशक्त बनाती हैं। वे आधारिक स्तर पर लोगों की समस्या को समझने में सहायता करेंगे।

अब देश के अन्य भागो से कंपनियां/उद्योग भूमि खरीद सकते है तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में विकास होगा।

♦♦♦♦♦

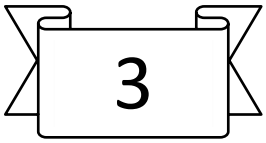

3

जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे का समापन एवं लद्दाख की स्वायत्ताः आनन्द एवं असमंजस का दौर

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रवर्तन को रद्द कर दिया है, जो 1950 से जम्मू–कश्मीर राज्य को लगभग स्वायत्तता प्रदान करता था। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (एक विधायिका के बिना) और जम्मू–कश्मीर (एक विधायिका के साथ) में विभाजित किया जाएगा। यह कदम प्रतीकात्मक रूप से अत्याधिक परिणामी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो सिर्फ कश्मीर घाटी की विचार–विमर्श करते हैं। जबकि जम्मू और कश्मीर में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लद्दाख का भी शामिल था जिसे अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला लिया गया है। जहाँ एक ओर अनुच्छेद 370 के रद्द होने पर कश्मीर के लोगो के प्रति चिंता का वातावरण है वहीं लद्दाख के लोगों द्वारा इस निर्णय को अलग तरह से देखने का प्रयास किया है। इस लेख के द्वारा लद्दाख के लोगो की प्रतिक्रिया एवं सरकार के इस निर्णय से लद्दाख में आये परिवर्तनों का मुल्यांकन किया गया है।

जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन ने क्षेत्र में नई गतिशीलता बनाई है। राज्य के द्विभाजन और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के कदम के साथ, लद्दाख की नियति को कश्मीर से हटा दिया गया है। जहाँ एक ओर घाटी के कुछ लोगों की भावना इस कदम के प्रति अविश्वास की रही, वही दूसरी ओर लद्दाख में यह खबर भयभीत कर देंने वाली या लोगो की भावना को आघात पहुँचाने वाली नहीं रही है। लेकिन काफी हद तक कारगिल जिले की मुस्लिम जनसंख्या द्वारा इस निर्णय पर प्रश्न भी खड़े किए गए हैं। श्रीनगर से 400 किलोमीटर दूर, लद्दाख के कई निवासियों ने परिवर्तनों का स्वागत किया। यह मात्र इसलिए है क्योंकि एक क्षेत्र के रूप में लद्दाख इस तरह के एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग काफी समय से कर रहा था।

विविधताओं और भेदभाव के मध्य स्वायत्ता की मांग

यह सांस्कृतिक और संजातीय रूप से एक विविध क्षत्र है, जिसमें बौद्ध–बहुल लेह और मुस्लिम–बहुल कारगिल जिले शामिल हैं। बौद्ध लद्दाखियों द्वारा बहुत लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि उनके क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया जाए, केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाए। जम्मू और कश्मीर की रियासत के अंतर्गत हाशिए पर जाने की उनकी भावना को 20 वीं सदी के प्रारम्भ में व्यक्त किया गया था। जिस कारण 1934 में लद्दाखी बौद्ध संघ का गठन हुआ और इस मुद्दे को उठाने वाले सबसे पहले लद्दाखियों में से एक बौद्ध विद्वान और राजनीतिज्ञ बकुला रिनपोछे थे, जिनके नाम पर लेह हवाई अड्डे का नाम रखा गया। 1989 में यह दावा तीव्र हो गया क्योंकि एसोसिएशन ने ''कश्मीर से लद्दाख को मुक्त करने'' के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। घाटी में उग्रवाद फैलते ही, फ्री लद्दाख संगठन ने मांग की कि कश्मीरी मुसलमानों को लद्दाख छोड़ देना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप कश्मीरी मुसलमानों और लेह जिले के मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया गया और 1992 में यह बहिष्कार वापस ले लिया गया।

1995 में, एक अलग पहचान की मांग को आगे बढ़ाते हुए, स्वायत्त जिला परिषद के रूप में लद्दाख में एक कानून बनाया गया था। लेह और कारगिल दोनों क लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कश्मीर के प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्ण स्वायत्तता की मांग की गई थी। एलएएचडीसी द्वारा यह दावा किया गया कि जम्मू–कश्मीर सरकार लद्दाख के साथ भेदभाव कर रही थी। उनका कहना ह कि विकास के विषय में उनके साथ अलग प्रकार से व्यवहार किया जा रहा था।

विचारात्मक भिन्नताओं के सन्दर्भ में लेह और कारगिल, लेह

अनुच्छेद 370 रद्द होने के पश्चात एलएएचडीसी के मुख्य कार्यकारी पार्षद रिग्जिन स्पलबर ने मीडिया से व्यक्तिगत बातचीत में यह कहा कि ''कश्मीर और लद्दाख में कुछ भी सामान्य नहीं है, अगर कश्मीर में कॉलेज बंद थे, तो लद्दाख में भी बंद कर दिए गए। कश्मीर का सारा कानून लद्दाख के लिए अप्रासंगिक था।'' इसी के साथ लेह में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नमग्याल ने कहा कि ''केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने का वादा पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी ने 2014 के आम चुनावों से पहले एक रैली में किया था। गडकरी ने वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो छह महीने के भीतर एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाएगा। जो मोदी सरकार के 2014 के पहले कार्यकाल में नहीं किया गया लेकिन अब इस वादे को पूरा किया है जिस कारण अब अधिकांश लोग भाजपा का पक्ष लेंगे।''

कारगिल

लद्दाख के दूसरे जिले अर्थात कारगिल में जहाँ मुस्लिम बहुल लोग हैं, उनका मत लेह के लोगों से काफी अलग है। जहाँ एक ओर लेह के लोग केंद्रीय सरकार के इस निर्णय से काफी प्रसन्न हैं वही कारगिल जिले के लोगों में कुछ विशेष उत्सुकता नहीं देखी गयी। यहां तक कि लद्दाख के सांसद लेह से हैं। जिससे कारगिल के लोगों में भय है कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात सभी महत्वपूर्ण निर्णय एवं प्रशासनिक कार्यवाही लेह के लोगों एवं नेताओ के हाथों में चली जाएगी, जिसके कारण कारगिल के लोगों का प्रतिनिधित्व, व्यापार एवं उनकी संस्कृति खतरे में चली जाएगी।

भूमि अधिकारों एवं प्रतिनिधित्व के सन्दर्भ में समान चिंताएं

केंद्रीय सरकार के निर्णय को लेकर भले ही लद्दाख में पक्ष व विपक्ष के विभिन्न विचार सामने आ रहे हैं, परन्तु कहीं न कहीं कुछ समान चिंताएं भी हैं जो सम्पूर्ण लद्दाख के लोगों के मध्य है। अनुच्छेद 370 के रद्द होने के पश्चात सभी सोशल मीडिया के पटल पर लोगों ने विभिन्न प्रकार के विचार रखे जिनमे से एक था "फेसबुक और व्हाट्सएप पर लद्दाख में संपत्ति खरीदने के बारे में", जो अधिक वायरल भी हुआ। कुल मिलकर तीन प्रकार की समस्याएं एवं भय लद्दाख में समान रूप से जो लोगों के मध्य उभर कर आ रहे हैं। यदि लद्दाख ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए, तो निवासियों के भूमि अधिकार उनसे छीन लिए जायेंगे और साथ ही लद्दाख की स्थानीय अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। जिसके विषय में यह मांग की गई कि सरकार द्वारा लद्दाख को संविधान में पांचवीं अनुसूची की घोषणा के तहत मान्यता दी जाए, जो इसे अनुसूचित क्षेत्र के रूप में परिभाषित करेगा। यह कानून, जो वर्तमान में असम, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों पर लागू होता है, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए भूमि की खरीद को सीमित करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त यह चिंता भी लद्दाख के लोगों के मध्य है कि कहीं लद्दाख मात्र एक व्यावसायिक स्थल बन कर न रह जाए, जो उनकी पहचान और संस्कृति के लिए अत्यधिक संकटपूर्ण होगा। भूमि अधिकारों के अतिरिक्त जो एक और समान चिंता लद्दाख से उभर कर सामने आती है वह है लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश बनाना। निवासियों एवं प्रतिनिधियों का मानना है कि ऐसा करने से लद्दाख का प्रतिनिधित्व देश में कम हो जायेगा, जो उनकी पहचान एवं अधिकारों के लिए सही साबित नहीं होगा।

♦♦♦♦♦

4

अनुच्छेद 370 एवं 35–एः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भविष्य की संभावनाएं

रेखा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

'उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है, ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने इस राज्य को ऐसा बना दिया है, जहाँ न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है और सब कार्य परस्पर विरोधी हैं'।

जगमोहन, (भूतपूर्व राज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर)

पिछले कुछ माह भारतीय राजनीति में आए एक महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक परिवर्तन को परिलक्षित करते हैं। समाचारपत्रों तथा टेलिविजन में सदैव केंद्र का विषय बने रहने वाले जम्मू कश्मीर राज्य तथा इसके विशेष स्थिति सम्बंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 तथा 35–ए के भारतीय संसद द्वारा बहुमत से किये गये निरस्त्रीकरण का सराहनीय कदम भारतीय राजनीति के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। 5 अगस्त 2019 को लिया गया यह निर्णय विशेष रूप से कश्मीर के भारत में विलयन व दिल्ली समझौते के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री नेहरु द्वारा की गयी उस एतिहासिक भूल में एक सराहनीय सुधार सिद्ध होगा। तत्कालीन सरकार का यह प्रयास राज्य में अलगाववादी शक्तियों तथा विकास के मार्ग में बाधा बनी धाराओं के समापन के माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में यह दानों प्रावधान राज्य को एक विशेष स्थिति प्रदान करते थे, तथापि अपने स्वरूप व स्थायित्व के सम्बन्ध में यह धाराएं अस्थायी थी, परन्तु राज्य में सत्ता की लोलुपता ने राजनीतिक दलों को इतना अत्यधिक प्रभावित किया कि राज्य में विद्यमान अलगाववाद, पत्थरबाजी व आतंकवाद को शरण देने की समस्या का समाधान करने में 72 वर्ष लग गए।

वहीं वर्तमान परिदृश्य में जम्मू–कश्मीर के विशेष स्थिति का समर्थन करने वाले कुछ नेता इसके ऐतिहासिक पक्ष पर बल देते हुए पुनः यह कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति देने के पक्ष में थे, परन्तु यह तर्क मात्र इतिहास की विकृत छवि को ही प्रस्तुत करता है। पटेल की जीवनी लिखने वाले वी. शंकर के अनुसार पटेल कभी भी जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य की स्थिति देनें के पक्ष में नहीं थे, परन्तु पटेल के मत के विरुद्ध

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बार राजनीति में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब व्यक्तिगत मत से हटते हुए विद्यमान सरकार व नेता के आदेश को मानना पड़ता है।

इन दोनों अनुच्छेदों के प्रावधानों को देखा जाये तो अनुच्छेद 370 भारतीय राज्य को रक्षा, वैदेशिक विषयों व संचार के सम्बन्ध में ही कानून बनाने तक सीमित करती थी। तथापि दिल्ली समझौते में इस राज्य की विधानसभा की सहमति पर अन्य विषय पर नियम कानून बनाने की बात कही गई, परन्तु इस समझौते के पश्चात उत्पन्न हुआ। अनुच्छेद 35ए (नागरिक तथा नागरिकता से सम्बंधित) ने राज्य में विद्यमान अलगाववाद व फूट को भावना को तीव्रता प्रदान की। यह अनुच्छेद राज्य सरकार को यह शक्ति देती थी कि वह निर्धारित कर सके कि राज्य के स्थाई नागरिकों कौन होंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसके पीछे जो तर्क प्रस्तुत किया गया था कि इससे राज्य की संस्कृति के विशेष महत्त्व के कारण किया गया है अर्थात उस दौरान इस सत्य को क्यों उपेक्षित कर दिया गया कि प्रत्येक राज्य की अपनी अलग–अलग संस्कृति है तथा उनका अपना विशेष महत्त्व है तो फिर विशेष स्थिति व प्रावधान सिर्फ इसी राज्य को क्यूँ ? क्या ऐसा मात्र इसलिए कि यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। वास्तव में संस्कृति के संरक्षण के नाम पर यह धाराएं द्वि–राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे अस्वीकारा नहीं जा सकता। वहीं यदि इनके प्रभाव को देखा जाये तो यह राज्य में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक अल्पविकास का मुख्य कारण रहीं हैं।

ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 तथा 35–ए के अनुसार किसी भी बाहरी निवेशक को राज्य का नागरिक बनने का अधिकार नही है। इस कारण राज्य में उद्योगों की स्थापना उस प्रकार नहीं हो पाई जैसे भारत के अन्य राज्यों में परिलक्षित होती है। अतः परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार के उचित अवसर प्राप्त नहीं हुए और वह अन्य प्रकार की गतिविधियों जैसे पत्थरबाजी की ओर अग्रसर हुए। साथ ही इन युवाओं के मस्तिष्क में अलगाववादी शक्तियों द्वारा भारत के विरुद्ध विचारों को उत्पन्न करने तथा देशद्रोहियों को शरण देने वाली जनसंख्या का निर्माण किया। कश्मीर में यह धारणाएं विशेषकर युवाओं के मस्तिष्क में इस प्रकार समाहित कर चुकी हैं कि उन्हें भारतीय सेना रक्षक नहीं अपितु भक्षक दिखाई देती है। इसका परिणाम पुलवामा हमले के रूप में देखा जा सकता हैं।

इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में एक लम्बे समय तक पंजाब से आए वाल्मीकि परिवारों के अनुच्छेद 15 व 16 में दिए गये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है। वाल्मीकि परिवारों द्वारा राज्य में

कई वर्षों तक निवास करने के बाद भी जम्मू– कश्मीर राज्य की स्थाई नागरिकता से वंचित रखा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें जो कंडीशनल रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया वह उन्हें एवं उनकी आने वाली पीढ़ियों को राज्य में मात्र सफाई कर्मचारी के रूप में चिन्हित करता है।

इन अनुच्छेदों ने जम्मू–कश्मीर की महिला के अधिकारों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। राज्य की महिलाओं का अपने विवाह के निर्णय में बहुत सीमित स्वतंत्रता ही दी गयी। राज्य की महिला यदि भारत के दुसरे राज्य के पुरुष से विवाह करती है तो ऐसी स्थिति में महिला को पूर्व में प्राप्त सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जायेगा। वहीं दूसरी ओर यदि कोई महिला पाकिस्तानी पुरुष से विवाह करती है तो महिला के पैतृक अधिकार बने रहेंगे।

अतः अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को दी गई विशेष स्थिति तथा 35–ए द्वारा नागरिक तथा नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधान स्वर्ग–रुपी राज्य में शोषण करने का साधन ही अधिक रहा। यह मृगतृष्णा की भांति लोगों को भ्रम में रखता रहा तथा सत्ताधारी कुलीनों के विशेष हितों की पूर्ति करता रहा। यह एक भारत के विचार और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के महान सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण की हत्या करता रहा।

उपरोक्त वर्णित इस पूरे सन्दर्भ को ध्यान में रखकर देखा जाये तो इसे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले निर्णय तथा इसकी भविष्य की संभावनाओं की एक परिवर्तनशील तथा प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।

♦♦♦♦♦

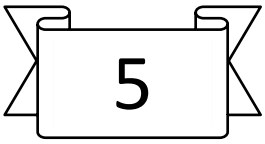

जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370/35–ए की समाप्तिः परिवर्तन की एक लहर

राम किशोर

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जम्मू–कश्मीर पर निरंतर अनिश्चितता और अटकलों पर विराम लग गया है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा निर्णय किया है। मोदी सरकार ने जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति के पश्चात यह निर्णय लागू हो चुका है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार के निर्णय की घोषणा की। इस निर्णय का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर को प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं, अर्थात जम्मू–कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों के समान एक सामान्य राज्य हो गया है।

जम्मू–कश्मीर का विचार आते ही अनुच्छेद 370 और 35–ए की बात आ जाती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वहीं, 35ए जम्मू–कश्मीर राज्य विधानमंडल को 'स्थायी निवासी' परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। यह भारतीय संविधान में जम्मू–कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया। राष्ट्रपति ने 14 मई 1954 को इस आदेश को जारी किया था, यह अनुच्छेद 370 का हिस्सा था।

अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार जम्मू कश्मोर की जनता को मिले हुए थे। इस अनुच्छेद के कारण कश्मीर में सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) और 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक' (सी.ए.जी.) जैसी संस्थाएं भी कार्य नहीं कर पाती थे। जम्मू–कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। जम्मू–कश्मीर का अलग राष्ट्रध्वज था। जम्मू–कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था। जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था। जम्मू–कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था। 35ए से जम्मू–कश्मीर क लिए स्थायी

नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार निर्धारित होते थे। 14 मई 1954 के पूर्व जो कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था। जो जम्मू–कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था, सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था, वहां के विश्वविद्यालयों में नामांकन नहीं ले सकता था, न ही राज्य सरकार की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता था।

जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद–370 हटाने के बहुप्रतीक्षित निर्णय पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में लागू 35ए (विशेष नागरिकता अधिकार) भी स्वतः समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद–370 और 35ए, खत्म होने की सूचना संसद में दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में अनुच्छेद–370 व 35ए को समाप्त करने की सूचना दी।

अनुच्छेद–370 व 35ए समाप्त होते ही राजनीतिक समूहों में हंगामा मचा हुआ है। जहां कुछ राजनेता इसे एक देश–एक संविधान बता रहे हैं। वहीं अधिकतर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। जानकारों का भी मानना है कि अनुच्छेद–370 व 35ए समाप्त होने के पश्चात् जम्मू–कश्मीर सही दृष्टि में भारत का अभिन्न अंग हो गया है। देश के अन्य राज्यों के लोगों के लिए ये अत्यधिक हर्ष का विषय है, जिसका प्रतीक्षा देश को स्वतंत्रता के पश्चात् से था।

अनुच्छेद–370 व 35ए समाप्त होने से निम्नलिखित परिवर्तन होंगेः–

1. अब जम्मू–कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी भूमि लेकर निवास कर सकेंगे।
2. कश्मीर का अब अपना अलग झंडा नहीं होगा, अर्थात वहां भी अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराएगा। जम्मू–कश्मीर में अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान या उसे जलाना या नुकसान पहुंचाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
3. अनुच्छेद–370 के साथ ही जम्मू–कश्मीर का अलग संविधान भी इतिहास बन गया है। अब वहां भी भारत का संविधान लागू होगा।
4. जम्मू–कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
5. जम्मू–कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया हैं। एक जम्मू–कश्मीर एवं दूसरा लद्दाख अब अलग–अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
6. अब अनुच्छेद–370 का खंड–1 मात्र लागू रहेगा। शेष खंड समाप्त कर दिए गए हैं। खंड–1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इसे भो हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 370 के खंड–1 के अनुसार जम्मू और कश्मीर की सरकार से परामर्श कर राष्ट्रपति, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।

7. अनुच्छेद–370 की पहचान इसके सबसे विवादित खंड 2 व 3 से थी, जो भेदभाव से भरी थी। इन दोनों खंडों को ही समाप्त किया गया है। अर्थात प्रभावी रूप से अनुच्छेद 370 से स्वतंत्रता मिल गई है।
8. जम्मू–कश्मीर में विधानसभा होगी, परंतु लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। अर्थात जम्मू–कश्मीर में राज्य सरकार बनेगी, किंतु लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी।
9. जम्मू–कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी विवाह करने की स्वतंत्रता होगी। दूसरे राज्य के पुरुष से विवाह करने पर उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी।
10. अनुच्छेद–370 में पूर्व में भी विभिन्न परिवर्तन हुए हैं, 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर–ए–रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था।
11. अनुच्छेद–370 को समाप्त करने की स्वीकृति राष्ट्रपति ने पहले ही दे दी थी, अर्थात ये अनुच्छेद पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया गया था। इसलिए इसे समाप्त करने के लिए संसद से पारित कराने की आवश्यकता नहीं थी। संसद में मात्र दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है।
12. जम्मू–कश्मीर सरकार का कार्यकाल अब छह वर्ष का नहीं, अपितु पांच वर्ष का ही होगा।
13. भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू–कश्मीर में नौकरी भी कर सकेगा। अब तक जम्मू–कश्मीर में मात्र स्थानीय लोगों को ही नौकरी का अधिकार था।
14. अन्य राज्यों से जम्मू–कश्मीर जाकर रहने वाले लोगों को भी वहां मतदान करने का अधिकार मिल सकेगा। साथ ही अन्य राज्यों के लोग भी अब वहां से चुनाव लड़ सकेंगे।
15. जम्मू–कश्मीर व लद्दाख के लोग भी अब शिक्षा के अधिकार, सूचना के अधिकार जैसे भारत के हर कानून का लाभ उठा सकेंगे।
16. केंद्र सरकार की 'भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक' जैसी संस्था अब जम्मू–कश्मीर में भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए अंकेक्षण कर सकेगी। इससे वहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
17. अब जम्मू–कश्मीर व लद्दाख में भी सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक निर्णय लागू होगा। पहले जनहित में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय वहां लागू नहीं होते थे।

18. महिलाओं पर व्यक्तिगत कानून अप्रभावी हो जाएगा। इस संशोधन से सबसे बड़ी राहत जम्मू–कश्मीर की महिलाओं को ही मिली है। संशोधन को जम्मू–कश्मीर की महिलाओ की स्वतंत्रता के तौर भी देखा जा सकता है।
19. अब तक यहां की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। अब दिल्ली की तरह जम्मू–कश्मीर व लद्दाख की कानून–व्यवस्था भी सीधे केंद्र के हाथ में होगी। गृहमंत्री, उपराज्यपाल के माध्यम से इसे संभालेंगे।
20. प्रशासनिक कार्य के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार को अब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां उपस्थित उपराज्यपाल से स्वीकृति लेनी होगी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के निर्णय के पश्चात् सरकार द्वारा बनाए गए दो जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख राज्यों की विकास की निरंतरता बनी रहेगी क्योंकि अन्य राज्यों के समान भारत की संसद द्वारा निर्मित कानून इन दोनों राज्यों पर भी समान रूप से लागू होगें।

♦♦♦♦♦

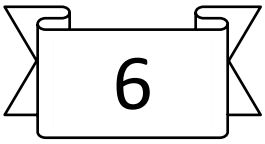

जम्मू एवं कश्मीर तथा अनुच्छेद 370/35–एः विश्वसनीयता के मूल्य पर नैरेटिव गढ़ने की मीडिया होड़

चन्द्रशेखर ग्वाड़ी

बुलेटिन संपादक, डी.डी. न्यूज

संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर को मिले विशेष प्रावधानों को केन्द्र सरकार ने संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का ये ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के उस वचन की पूर्ति है जिसे पार्टी चुनाव दर चुनाव अपने घोषणापत्रों में प्रमुखता से सम्मिलित करती आई है। इस निर्णय का धरातल पर क्या प्रभाव पड़ा या भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे, इसकी चर्चा निरन्तर चल ही रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन ये निर्णय अपने आप में ठीक है कि नहीं या इसके प्रभाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, इस बारे में मीडिया में एक अभूतपूर्व होड़ और उतावलापन अचम्भित कर देने वाला है।

यदि भारतीय मीडिया की छवि सामान्य तौर पर अति–उत्साही या अति–प्रतिक्रियावादी की है, तो ये अतिश्योक्ति नहीं होगी, किन्तु इस बार मीडिया की प्रतिक्रिया और कार्यशैली, उत्साह और उतावलेपन की सीमाओं से परे जाती प्रतीत होती है। ऐसा इसलिये भी कहना उचित होगा क्योंकि मीडिया स्पष्ट तौर पर दो धुरों में विभाजित दिख रहा है। एक धुर वो जो ये कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर पर केन्द्र सरकार के निर्णय से राज्य विकास और उत्थान की नई यात्रा पर अग्रसर होगा। ये धुर दावा करता है कि इस निर्णय से राज्य की जनता सामान्य तौर पर मात्र संतुष्ट ही नहीं है, अपितु उत्साहित भी है।

ये पक्ष इस बात पर भी बल दे रहा है राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सामान्य जनजीवन प्रभावित तो हुआ, यहां तक कि लोगों को अधिक कठिनाइयां भी आईं, किन्तु कोई बड़ी समस्या या संकट उत्पन्न नहीं हुआ। मीडिया का दूसरा धुर एकदम विपरीत स्थिति की व्याख्या कर रहा है। उसका दावा है कि केन्द्र सरकार का फैसला न सिर्फ संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, अपितु ऐसा करके राज्य

के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। ये पक्ष कहता है कि राज्य में स्थिति बहुत गंभीर है और केन्द्र सरकार के कदमों ने जम्मू और कश्मीर में आपातकाल से भी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। ये पक्ष अपनी खबरों के प्रकाशन और प्रसारण के साथ दावे कर रहा है कि राज्य में मानवाधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन हो रहा है, सुरक्षा बलों एवं प्रशासन की बर्बरता में निरंतरता बनी हुई है, और सामान्य नागरिकों की दुर्दशा हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक वर्ग में भी ये पक्ष प्रमुखता से दिखाई दे रहा है।

मीडिया विमर्श में विभिन्न पक्षों या विचारों का उभर कर आना एक परिपक्व लोकतंत्र और स्वस्थ संवाद प्रक्रिया का परिचायक है। सभी पक्षों का बिना किसी बंधन के और पूरी जिम्मेदारी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग न मात्र ये दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र सशक्त नींव पर खड़ा है, अपितु यह भी सिद्ध करता है कि दशकों की यात्रा ने इसकी परिपक्वता को विश्व के समक्ष एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। मीडिया विमर्श में झलक रही विविधता और विभिन्नता अच्छा संकेत है, किंतु प्रश्न उत्पन्न होता है, जहां संवाद में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के स्थान पर संवाद को प्रभावित करने का प्रयास दिखने लगता है। कहीं जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370/35ए के विषय में मीडिया में यही प्रवृत्ति तो नजर नहीं आ रही है ? ये प्रश्न भारतीय मीडिया के उन दोनों ही धुरों के लिए है जो अपने अपने पक्ष को अटल सत्य के रूप में स्थापित करने पर तुले हुए हैं और दूसरे पक्ष को असत्य या निराधार दावों से बढ़ कर कुछ नहीं मानते।

समाचारपत्रों से लेकर वेबसाइट्स तक, सोशल मीडिया के समाचार पोर्टल्स हों या उनके यूट्यूब चैनल, इनमें से अधिकतर अपनी अपनी सम्पादकीय नीति का पालन करते दिखते हैं और 'हम बनाम तुम' के द्वन्द्व में उलझे नजर आते हैं। टीवी मीडिया की स्थिति भी इससे बहुत भिन्न नहीं है। अधिकतर टीवी समाचार चैनलों पर हर शाम मीडिया 'मठाधीश' पंचायत सजाकर बैठते हैं। वे या तो एकतरफा विवेचनाओं या विपक्षी विचार की नाममात्र की उपस्थिति के साथ एक राय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सामान्य तौर पर इन विवेचनाओं में मूल विचार या भाव कहीं गुम होता दिखता है और बच जाता है तो मात्र एजेंडा या दुष्प्रचार।

इसमें दो राय नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है और न ही पहले रही है। किसी भी अन्य राज्य की तुलना में जम्मू कश्मीर की स्थिति अधिक जटिल और संवेदनशील है। ऐसे में जब भावनाओं और संवेदनाओं का ज्वार पहले ही चरम पर हो, मीडिया के दोनों ही धुरों का अपने अपने पक्ष को सही सिद्ध करने की पराकाष्ठा तक पंहुच जाना, अविश्वास, भ्रम और

संदेह की स्थिति पैदा करने वाला है। विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में जब किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।

ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स की कमी नहीं है जिनमें आए दिन ऐसे दावे किये जा रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बल और प्रशासन बर्बर बल प्रयोग और मानवाधिकारों के अत्यधिक उल्लंघन में लिप्त हैं। इस के साथ साथ राज्य में लगीं पाबंदियों को सूचना तंत्र को ठप करने और सूचना आपातकाल की संज्ञा देती विभिन्न प्रकार की खबरें भी सोशल मीडिया से लेकर समाचारपत्रों और टीवी चैनल्स पर प्रमुखता से दिख रही हैं। कुछ नेताओं और कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किये हैं। यद्यपि, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और राज्य प्रशासन की ओर से इन दावों को लगातार अस्वीकृत किया जाता रहा है। केन्द्र सरकार भी निरन्तर ये आश्वासन देती आ रही है कि ये पाबंदियां राज्य में सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने, अफवाहों और आधारहीन खबरों के प्रसार को रोकने और जानोमाल के नुकसान से बचने की दृष्टि से लगाई गई हैं और ये अस्थायी हैं। इस बात का अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि सामान्य लोगों को आ रही समस्याओं, राज्य से बाहर रह रहे लोगों के अपने परिजनों से सम्पर्क की कठिनाइयों, लोगों की आवाजाही या दैनिक आवश्यकताओं की चुनौतियों को भी इन खबरों के माध्यम से उठाया जा रहा है।

एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने ब्लॉग में भी इन्हीं चिंताओं को प्रमुखता से रखा। उन्होंने लिखा, "उम्मीद है कश्मीर में कर्फ्यू की मियाद लंबी न हो। हालात सामान्य हों। कश्मीर के लोगों का आपसी संपर्क टूट चुका है। जो कश्मीर से बाहर हैं वे अपने घरों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।" लेकिन क्या आम जन की चनौतियों को स्वर देने और राज्य में सभी कुछ अंधकारमय दिखाने में कोई अंतर नहीं है? जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 से संबधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि 5 अगस्त से 16 सितंबर तक राज्य में एक भी गोली नहीं चली और एक भी व्यक्ति को जान नहीं गंवानी पड़ी। केन्द्र सरकार के अधिवक्ता तुषार मेहता ने वर्ष 2016 में आतंकी बुरहान वानी की मौत के पश्चात् राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि ये पाबंदियां स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर लगाई गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में सामान्य जनजीवन को बहाल किया जाए और ऐसा करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए।

सामान्य लोगों पर भारतीय सेना द्वारा बर्बरता के दावे वाली खबरों के संदर्भ में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में कहा कि एक भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि विदेशी मीडिया में आ रही छायाचित्रों में छेड़छाड़ की गई लगती है। जनरल रावत ने कहा कि अगर उनके समक्ष एक भी ऐसा मामला आता है तो वे स्वयं उस मामले की पूरी जांच का आदेश देंगे। यहां इन तथ्यों की विवेचना करना इसलिये आवश्यक है क्योंकि मीडिया के एक धुर में "क्या हो रहा है" पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है, यद्यपि, ये हो भी रहा है या नहीं, उसकी सत्यता पर भी लगातार संदेह जताया जा रहा है। किंतु मीडिया का ये वर्ग राज्य में ये 370 पर केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय "क्यों किया गया है" पक्ष को सिरे से अनदेखा करता दिखता है।

ये पक्ष इस बात पर बल दे रहा है कि राज्य में समाचारपत्र नहीं छप रहे हैं और पत्रकारों की आवाजाही पर अनावश्यक रोक लगाई जा रही है। इस तरह का नैरेटिव न मात्र अविश्वास, भय और तनाव का वातावरण उत्पन्न करता है, अपितु प्रशासन और सरकार के प्रति असंतोष के भाव को भी प्रबल करता है। परंतु क्या एक प्रतिकूल वातावरण तैयार कर और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रशासन और सरकारों के प्रति नकारात्मक वातावरण तैयार कर व्यवस्था बनाई जा सकती है? मीडिया का दूसरा धुर राज्य में शांति और अमन की ऐसी स्थिति दिखाने को उतावला है जिसे देखते ही संशय उत्पन्न हो जाता है कि यह वास्तविकता है भी या नहीं। सूचना प्रवाह आम जनजीवन का अभिन्न अंग बन गया है।

सूचना हमारी मूलभूत आवश्यकता बन गई है। कब तक कोई इसके बिना रह सकता है। इसी तरह, लोगों की आवाजाही में आ रही रुकावटें भी निश्चित तौर पर उन्हें पीड़ा दे रही हैं। जो लोग घरों से बाहर हैं वे अपने परिजनों से मिलने और बात करने को बेचैन हैं। तो जब समस्याएं हैं और गंभीर भी, तो एक सजीला–रंगीला दृश्य पेश करना कितना उचित है?

जाने माने पत्रकार राहुल पंडिता ने भी इस तरह के दोनों मीडिया नैरेटिव पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि ये दोनों ही सत्य नहीं हैं। राहुल पंडिता स्वयं भी कश्मीरी हैं और अनुच्छेद 370 पर केन्द्र सरकार के निर्णय के पश्चात कश्मीर भी गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने 18 अगस्त के लेख में राहुल पंडिता ने लिखा, "कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है। सूचना तंत्र ठप है जिसके कारण लोगों को परशानी हो रही है, लेकिन जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है वैसी कठोर कार्रवाई अर्थात ब्स्।डच्क्ॅच्छ जैसी स्थिति नहीं है। मात्र अर्ध वास्तविकता ही प्रदर्शित की जा रही है।" डी डी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी कश्मीर का दौरा किया और

वास्तविक स्थिति को किसी और रूप में दिखाने के प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने उन दावों को भी खारिज किया कि राज्य में समाचारपत्र नहीं छप रहे हैं।

केन्द्र सरकार के कदम से राज्य की शत–प्रतिशत जनता प्रसन्न हो ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, परंतु स्थिति घातक हो गई है और नियंत्रण के बाहर हो सकती है, ये दावा भी सत्यता से परे लगता है। जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है वो अभूतपूर्व है, अपितु ये भी सत्य है कि वहां की समस्याएं भी अलग हैं और उनके निराकरण के लिए तरीके भी सामान्य नहीं होंगे। संवेदनशील परिस्थितियों में सामान्यजन तक निष्पक्ष, निर्बाध और निरन्तर सूचना प्रवाह अत्यंत आवश्यक है। ये कार्य मीडिया के कंधों पर आता है। ऐसे में मीडिया का पूर्वाग्रहों ने मुक्त होकर काम करना और सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिभागी के रूप में योगदान देना बहुत जरूरी है।

♦♦♦♦♦

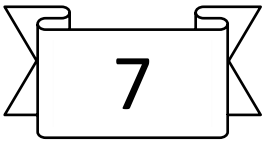

जम्मू एवं कश्मीरः कल और आज, अनुच्छेद 370 के संदर्भ में

अर्चना सौशिल्या

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

5 अगस्त, 2019 को धारा 370 तथा 35–ए के हटाने से एक विवाद जो वर्षो से विचार–विमर्श का विषय बना था, उस पर पूर्णविराम लग गया, परंतु इसके साथ हो इसने संवैधानिक प्रावधानों, मानवाधिकार के हनन् आदि विषयों पर प्रश्नसूचक चिह्न लगा दिया। "जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल" को पास करा कर उसे दिये गये 'विशेष राज्य' का स्थान हटाकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को क्रेन्द्र शासित राज्य की श्रेणी में डाल दिया गया। मोदी जी, के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने राष्ट्रिय सेवकसंघ के वर्षो के स्वप्न को साकार किया।

भारत का प्रत्येक नागरिक इस तथ्य से जागृत नहीं है कि आज तक जम्मू कश्मीर विशेषाधिकार दोहरी नागरिकता के साथ भारत के मानचित्र पर अपना पृथक संविधान एवं ध्वज लहराता रहा है। अनुच्छद 356 तथा 360 की मान्यता वहाँ नहीं है। वहाँके अल्पसंख्यकों के लिए न तो कोई 'आरक्षण नीति' है ना ही 'सूचना का अधिकार' प्रयोग के लाया जा सकता था। भारतीय भूमि पर होने के बावजूद, किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति वहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकारी नहीं हो सकता था। वहाँ की महिलायें किसी अन्य राज्यों के पुरूष से विवाहोपंरात अपनी नागरिकता खो देती थी। वर्षों तक घाटी के लोग कुछ दलीय नेताओं के प्रभाव में आकर विकास की माँग करते रहे, परतुं उन्हें हिंसा, अलगाववाद के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अत्यधिक आंतकी आक्रमण, पाकिस्तानी दंगों से जम्मू कश्मीर के लोग प्रजातंत्र के नाम पर हास्यपद बनते जा रहे थे। अततः पिछले कुछ वर्षों में ऐसा क्या रहा, जिसने कश्मीर में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। क्या अनुच्छेद 370 के अस्थायी होने से संसदीय निर्णय उचित रहा? इस निर्णय को विरोधी पार्टियों के बड़े–बड़े नेताओं ने भी सहमति दे दी, फिर भी नेशनल कांग्रेस को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका क्यों देनी पड़ी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह भारत का आतंरिक विषय, फिर भी पाकिस्तान इसे अमानवीय करार देकर मानवाधिकार के हनन् के आरोप में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में में ले जाता रहा है।

सन् 2014 में भाजपा ने जम्मू कश्मीर के पी.डी.पी. दल के साथ गठबंधन बनाकर अटल जी के 'कश्मीरीयत प्रजातांत्रिक सरकार तथा इंसानियत' को बचाने के लिए, विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। परन्तु 2016 सितम्बर को 'उरी' हमले के प्रतिउत्तर में 'सर्जिकल स्ट्राइक' करनी पड़ी। इस तरह भाजपा का यह 'प्रयोग' पी.डी.पी. के साथ असफल रहा एवं वहाँ राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। कश्मीर के लोग परिवर्तन चाहते थे। राज्यपाल शासन लागू करके कड़ी कानून व्यवस्था लगाई गई, कठोर आंतरिक सुरक्षा किये गये, जिससे आंतकी हमलों को रोका जा सके। अलगाववादी नेताओं 'यासिन मल्लिक', 'एसिया अनदरावी', 'मसारत आलम' को बंदी बनाया गया तथा मशहूर व्यापारी 'जाहूर अहमद' को हुर्रियत नेताओं के सहायता पर पाबंदी लगा दी गई। निःसंदेह इसे यदि मानवाधिकार का हनन् समझा जाये तो उस विकास कार्यक्रमों को क्या नाम दिया जाना चाहिए जिसे वर्षों से कश्मीरी जनता माँग रही है। एन.सी.पी. तथा पी.डी. पी. के बहिष्कार के बवावजूद पंचायतों के चुनाव करवाये गये जहाँ निर्वाचित पंचायतों ने विधायको को पीछे ढकेल दिया। श्री राजनाथ सिंह के नेतत्व संभालते ही 80,000 करोड़ रुपये विकास कार्यक्रमों के लिए दिये गये। घाटी की सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मियों को वायरलेस देकर आश्चर्यचकित किया गया, पत्थर मार इलाकों को बचा लिया गया। संसद में जम्मू कशमीर पुनर्गठन बिल के समर्थन में 121 तथा विरोध में 61 मत प्राप्त हुए, जो इस बात का धोतक है संसदीय बहुमत भी अनुच्छेद 370 तथा 35ए के विरोध में था। यह राजनीति है विरोध संभव है परंतु प्रत्येक विरोध के बावजूद जनहित सर्वोपरि है। इस अनुच्छेद के हटने से सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिये जायेगे और स्थानीय लोगों की आंकाक्षाओं को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा।

यह सर्वविदित है, अनुच्छेद 370 तथा 35 ए के हटने से जम्मू कशमीर अन्य राज्यों की तरह एक राज्य हो जायेगा, ना तो पृथक संविधान, ना तो पृथक ध्वज, ना ही दोहरी नागरिकता। वैवाहिक संबंधी विवाद तथा जम्मू कशमीर में संपत्ति खरीदने का समान का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। अल्पसंख्यको को आरक्षण प्राप्त हो जाने से विकास की प्रमुखधारा में उनकी सहभागिता सुनिशिचत हो जायेगी। सूचना के अधिकारों के प्रयोग द्वारा सरकारी कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी एवं जनमत का विश्वास सरकार में बढ़ेगा। अन्य राज्यों के समकक्ष वहाँ के विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया है।

परन्तु राजनीति विडम्बनाओं का खेल है यथास्थिति को परिवर्तित करने में भूल भी होती है एवं विवाद के साथ साथ चुनौतिया भी आती है–जैसे (क) क्या जिस तरीके से संसद में जम्मू

कशमीर पुनगर्ठन बिल पास किया गया यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार था। (ख) घाटी में संचार माध्यमों पर रोक लगा कर धारा 144 एवं सुरक्षाकर्मियों द्वारा नाकाबंदी करके, नेताओं को घरों, होटलों में बंद करके संसद में बिल पारित करना, मौलिक अधिकारों एवं संघात्मक व्यवस्था के अनुरुप है? (ग) स्थानीय लोगों को अपने आर्थिक विकास, सामान्य जनजीवन की परिस्थियाँ की चुनौतियाँ अधिक गंभीर लग रही है कि सितम्बर अक्टूबर में जब सेब का व्यापार करना होगा, तो ऐसी स्थितियों में इनका निर्यात कैसे किया जायेगा। व्यापार की सुविधा समाप्त पड़ने से उनकी स्थिति दयनीय हो सकती है।

अतः विकास के कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु 'ब्लाक–स्तर' पर चुनाव अति आवश्यक है– पाकिस्तान से आंतकी हमले तथा आंतरिक सुरक्षा को अव्यस्थित करने, धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने की अत्यधिक प्रयास किया जायेगा। इस विषय को मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के द्वारा लाया गया एवं मानवाधिकार के उच्चायुक्त 'मिशेल वैचलेट जेरिया' ने भारत को नागरिकों के अधिकार वापस लौटाने तथा स्थिति को सामान्य करने का निर्देश भी दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी दोनो राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 'मध्यस्थता' करने की बात भी रख दी। यह समय सजग एवं सर्तक रहने का है जो देश स्वयं 'वैश्विक आंतकवाद' का केंद्र है वह अर्न्तराष्ट्रिय स्थल पर भारत की छवि घूमिल करने में लगा है। जहाँ तक संवैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक संशोधन एवं अनुच्छेद 370 के अस्थाई प्रावधान का है, इसके विरोध में नेशनल कांग्रेस तथा पी. डी.पी. ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाल कर सभी प्रतिबंधों को हटाने की माँग की है। उच्चतम न्यायालय ने पाँच सदस्यीय 'संवैधानिक पीठ' का गठन करके इस पर सुनवाई करने तथा केन्द्र एवं जम्मू कश्मीर के प्रशासन को नोटिस भी जारी कर दिया है।

एक विश्लेषक के रूप में यदि विवेचना की जाए तो आज कश्मीर के स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना एवं उन्हें विश्वास दिलाना कि 'धारा 370 के हटने से उसके 'अस्तित्व पर संकट' नहीं आया है, सबसे बड़ी आवश्यकता है, अपितु क्षेत्रीय नेताओं के शोषण से मुक्ति मिली है। यदि जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के नियंत्रण, देखरेख में होगा, दिल्ली की तरह उनकी सुरक्षा भारत सरकार की होगी, उनकी कश्मीरीयत पहले से अधिक 'सुरक्षित' एवं 'अस्मिता' की होगी वहाँ के लोगो को उत्तम शासन, सुशासन, उत्तम प्रशिक्षण तथा नये रोजगार के साधन उपलब्ध हो।

प्रधानमंत्री जी के दिये आश्वासनों के अंतर्गत अन्य राज्यों के समकक्ष सरकारी पदाधिकारियों को वेतन मिलेगा, जम्मू कशमीर को सेब एवं नाशपति का अर्न्तराष्ट्रिय राज्य बनाकर, अर्न्तराष्ट्रिय पर्यटक स्थल बना देने से, स्थानीय लोगों को जीविका के नये साधन मिलेगें। कुछ समय तक

केंद्र सरकार, राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में इसका विकास द्वारा जनता का शोषण रोकना चाहती है। स्थानीय लोगो को भी अपने भय एवं संदेह पर विजय प्राप्त करनी होगी, पंजाब के लोगो द्वारा भूमि खरीद कर वर्चस्व दिखाने का भय अतार्किक है। उन्हें अपने जीवन शैली, विचार में परिवर्तन लाने, वर्षों से पूरा नहीं हुए वचनों, अत्याचारों से बाहर निकल कर "सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास" इस भावना के साथ उन्हें भारत की प्रमुख धारा से जुड़ना होगा। उनकी यह 'पहल' सरकार को चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध होगी, और सरकार के सामने 'सुरक्षा एवं विकास' बड़ी चुनौती हैं। यद्यपि उनका वापस लौटना भी संभव है क्योंकि कश्मीर पिछले 30 वर्षों में नष्ट हो चुका है। अभी सबसे बड़ा प्रश्न संवैधानिक प्रावधानों पर भी आया है, विधानसभा के भंग होने की स्थिति में क्या संसदीय निर्णय सही है? क्या अनुच्देछ 3 स्वयं ही संसद को नियंत्रित करती है? क्या राष्ट्रपति शासन पर न्यायालय में प्रश्न उठाए जा सकते है? ऐसे विभिन्न प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलना अभी शेष है।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007